नि हेत सम्ब

क्रम-संख्या--566

रजि0 नं0 एल. डब्लू./एन. पी. 561

लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0--41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 21 अगस्त, 1991

श्रावण 30, 1913 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 1520/सत्रह-वि--1--1 (क) 24-1991

लखनऊ, 21 अगस्त, 1991

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह निवारण और वैधीकरण) विधेयक, 1991 पर दिनांक 20 अगस्त, 1991 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1991 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह निवारण और वैधीकरण) अधिनियम, 1991

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1991)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के कतिपय उपबन्धों के सम्बन्ध में सन्देह के निवारण और उसके अधीन कतिपय कार्यों और कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह निवारण और वैधीकरण) अधिनियम, 1991 कहा जायेगा।

(2) धारायें 2, 3 और 4 दिनांक 19 जुलाई, 1991 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

सन्देहों को दूर करना

2--सन्देह के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 के खण्ड (घ) के प्राविधान किसी क्षेत्र को औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदान करते हैं और सदैव से प्रदान करते समझे जायेंगे ।

वैधीकरण

3--क्रमशः सरकारी अधिसूचना--

(क) संख्या 8425-भा-उ/18-11-223-भा-88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989,

(ख) संख्या 8425 (एक)-भा-उ/18-11-223-भा-88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989, और

(ग) संख्या 7436-भा-उ/18-11-107-भा-85, दिनांक 28 जनवरी, 1991

की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (घ) के अधीन राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास क्षेत्र के रूप में घोषित समझा जायेगा, और सदैव से घोषित किया गया समझा जायेगा और उक्त अधिसूचनायें विधिमान्य और विधिपूर्ण होंगी और सदैव से विधिमान्य और विधिपूर्ण समझी जायेंगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे ।

अधिभावी प्रभाव

4--इस अधिनियम के उपबन्ध किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

निरसन और अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (सन्देह निवारण और वैधीकरण) अध्यादेश, 1991 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्र अध्यादे सं0 33 1991

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थ ।

आज्ञा से,

नारायण दास,

सचिव ।

No. 1520 (2)/XVII-V-1--1 (KA)-24-1991

Dated Lucknow, August 21, 1991.

In pursuance of the provisions of clause (3) of Artilele 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Audyogik Kshetra Vikas (Sandeh Nivaran Aur Vadhikaran) Adhiniyam, 1991 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 27 of 1991) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 20, 1991.

THE UTTAR PRADESH INDUSTRIAL AREA DEVELOPMENT (REMOVAL OF DOUBTS AND VALIDATION) ACT, 1991

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

(U. P. Act No. 27 of 1991)

AN

ACT

to provide for the removal of doubts in respect of certain provisions of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 and to validate certain acts and proceedings thereunder.

It is hereby enacted in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Industrial Area Development (Removal of Doubts and Validation) Act, 1991.